3.7.17 पत्रावली आज राजस्व कैम्प कोर्ट पनोरिया में पेश हुई। प्रतिवादीगण वकील उप०। वादी वकील ने जवाबुल जवाब पेश नहीं किया। प्रतिवादी वकील ने आज ही बहस सुनने का निवेदन किया जो स्वीकार कर प्रतिवादी वकील की बहस सुनी गई। प्रतिवादी वकील का बहस में कथन था कि वादी द्वारा प्रस्तुत में आराजी खसरों के संबंध में एक राजस्व वाद जैसाराम बनाम अमराराम बगैरा वाद सं 54/15 अन्तर्गत धारा 53 RT Act के तहत श्रीमान के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था उक्त वाद को दिनांक 19.5.2015 को ~~मानी~~ माननीय न्यायालय द्वारा लोक अदालत में वादीगण एंव प्रतिवादीगण की सहमति से डिक्री जारी की थी। उक्त तथ्य को छिपाते हुए वादी ने उपरोक्त वाद प्रस्तुत किया है जो विधि द्वारा बाधित होने के कारण काबिले खारिज है। प्रतिवादी वकील की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अध्ययन व अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि विवादित आराजी के संबंध में आपसी सहमति से निर्णय किया जा चुका है। उसी विवादित खसरों के संबंध पुनः निर्णय किया जाना विधि बाधित होने के कारण इस वाद को खारिज किया जाता है पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
चौहटन